



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 1777/2023

- 1 - मेसर्स केशरवानी राइस मिल के स्वामी श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बट्टी प्रसाद गुप्ता आयु-55 वर्ष पोस्ट शिवनी, मरवाही, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 2 - मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज थ्रू प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल पिता शंकर लाल अग्रवाल आयु-34 वर्ष मरवाही रोड, पेंड्रा, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 3 - मेसर्स लक्ष्मी एगो इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया आयु-30 वर्ष, निवासी ग्राम कुदरी, पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4 - मेसर्स साई एगो मालिक श्री राम चरण साहू के द्वारा, पिता स्वर्गीय गोरेला साहू आयु-48 वर्ष निवासी ग्राम लर्निवासीनी पोस्ट धोभर, मरवाही, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 5 - मेसर्स माँ नर्मदा एगोटेक मालिक श्री गगन अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु-37 वर्ष, निवासी गाँव मदना पेंड्रा रोड, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 6 - मेसर्स माँ नर्मदा चावल उत्पाद मालिक श्री गीता अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु 52 वर्ष और ग्राम मदना पेंड्रा रोड, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 7 - मेसर्स जे. निवासी अग्रवाल एगोटेक प्रोपराइटर श्री सुयश अग्रवाल के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल आयु-27 वर्ष गाँव अंजनी, पेंड्रा रोड
- 8 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल तथा संस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड श्री गया प्रसाद अग्रवाल पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल आयु-59 वर्ष गाँव अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, छठी मंजिल, टावर-सी, वाणिज्यिक परिसर, सी. बी. डी., सेक्टर-21, अटल नगर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 5 - कलेक्टर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6- श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी, गौरेला मालिक श्री फकीर चंद अग्रवाल के द्वारा पुत्र निरंजन लाल अग्रवाल उम्र - 75 वर्ष निवासी समता नगर, वार्ड नंबर 15, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

रिट याचिका सिविल सं 261/2024

- 1- मेसर्स केशरवानी राइस मिल, प्रोपराइटर श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बट्टी प्रसाद गुप्ता, उम्र 55 वर्ष, निवासी पोस्ट सिवनी, मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़
- 2- मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल के द्वारा, पिता शंकर लाल अग्रवाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी मरवाही रोड, पेंड्रा
- 3- मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुदरी पेंड्रा
- 4- मेसर्स माँ नर्मदा एगोटेक, प्रोपराइटर श्री गगन अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम मदना, पेंड्रा रोड
- 5- मेसर्स माँ नर्मदा राइस प्रोडक्ट, प्रोपराइटर श्री गीता अग्रवाल के द्वारा, पति स्वर्गीय अशोक अग्रवाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम मदना, पेंड्रा रोड
- 6- मेसर्स जे.पी. अग्रवाल एगोटेक, मालिक श्री सुयश अग्रवाल के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल, आयु 27 वर्ष, निवासी ग्राम अंजनी, पेंड्रा रोड
- 7- मेसर्स जे.पी. अग्रवाल एंड संस कोल्डस्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, मालिक श्री गया प्रसाद अग्रवाल, के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल, आयु 59 वर्ष, निवासी ग्राम अंजनी, पेंड्रा रोड

---याचिकाकर्ता



बनाम

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, छठा तल, टावर सी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीबीडी, सेक्टर-21, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 5- कलेक्टर, जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6- श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी, गौरेला, प्रोपराइटर श्री फकीर चंद अग्रवाल के द्वारा पिता निरंजन लाल अग्रवाल, आयु 7 वर्ष, निवासी समता नगर, वार्ड क्रमांक 15, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

रिट याचिका सिविल सं 5168/2023

- 1- मेसर्स केशरवानी राइस मिल, प्रोपराइटर श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद गुप्ता, उम्र 55 वर्ष, निवासी पोस्ट सिवनी, मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 2- मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल के द्वारा, पिता शंकर लाल अग्रवाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी मरवाही रोड, पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 3- मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुदरी, पेंड्रा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 4- मेसर्स माँ नर्मदा एगोटेक, प्रोपराइटर श्री गगन अग्रवाल, के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम मदना, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़



5- मेसर्स माँ नर्मदा राइस प्रोडक्ट, प्रोपराइटर श्री गीता अग्रवाल, के द्वारा, पति स्वर्गीय अशोक अग्रवाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम मदना, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला, पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़

6- मेसर्स जे.पी. अग्रवाल एगोटेक, प्रोपराइटर श्री सुयश अग्रवाल, के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला, पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़

7- मेसर्स जे.पी. अग्रवाल एंड संस कोल्डस्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री गया प्रसाद अग्रवाल, के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

1- छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, छठा तल, टावर-सी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीबीडी, सेक्टर-21, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

4- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

5- कलेक्टर, जिला गौरेला-पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

6- श्याम फूड प्रोडक्ट्स, मालिक श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पुत्र फकीर चंद अग्रवाल, आयु 47 वर्ष, निवासी समता नगर, वार्ड क्रमांक 15, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

रिट याचिका सिविल सं 321/2024

1- मेसर्स केशरवानी राइस मिल के मालिक श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बट्टी प्रसाद गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी पोस्ट - सिवनी, मरवाही, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।



- 2- मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज के मालिक श्री हर्ष कुमार गोयल के द्वारा, पिता शंकर लाल अग्रवाल उम्र 34 वर्ष, निवासी मरवाही रोड, पेंड्रा, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 3- मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम - कुदरी, पेंड्रा, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4- मेसर्स मां नर्मदा एगोटेक, प्रोपराइटर श्री गंगन अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल, आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम - मदना, पेंड्रा रोड, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 5- मेसर्स माँ नर्मदा राइस प्रोडक्ट, प्रोपराइटर श्री गीता अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल, उम्र - 52 वर्ष, निवासी ग्राम - मदना, पेंड्रा रोड, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6- मेसर्स जे.पी. अग्रवाल एगोटेक, प्रोपराइटर श्री सुयश अग्रवाल के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल, उम्र - 27 वर्ष, निवासी ग्राम - अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 7- मेसर्स जे.पी. अग्रवाल एंड संस कोल्डस्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री गया प्रसाद अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल, उम्र - 59 वर्ष, निवासी ग्राम अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 2- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, 6 वीं मंजिल, टॉवर-सी, वाणिज्यिक परिसर, सीबीडी, सेक्टर -21, अटल नगर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3- जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक अटल नगर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 5- कलेक्टर, जिला - गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6- यश राइस मिल, मालिक श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल के द्वारा, पिता फकीर चंद अग्रवाल, आयु - 47 वर्ष, निवासी समता नगर, वार्ड क्रमांक 15, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण



रिट याचिका सिविल सं 2186/2023

- 1 - मेसर्स निवासीशरवानी राइस मिल निवासी मालिक श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बंदी प्रसाद गुप्ता की आयु-55 वर्ष, निवासी -सिवनी, मरवाही, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 2 - मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल के द्वारा, पिता शंकर लाल अग्रवाल आयु-34 वर्ष, मरवाही रोड, पेंड्रा, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 3 - मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया आयु-30 वर्ष, निवासी गाँव-कुदरी, पेंड्रा, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4 - मेसर्स माँ नर्मदा एगोटेक प्रोपराइटर श्री गंगन अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु-37 वर्ष, निवासी गाँव-मदना, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 5 - मेसर्स माँ नर्मदा चावल उत्पाद मालिक श्री गीता अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु-52 वर्ष, निवासी गाँव-मदना, पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल एगोटेक प्रोपराइटर श्री सुयश अग्रवाल के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल, आयु-27 वर्ष, गाँव-अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 7 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल तथा संस पिताल्डस्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड श्री गया प्रसाद अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल आयु-59 वर्ष, गाँव-अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा,, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, इसके महाप्रबंधक के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, महाप्रबंधक के द्वारा, 6 वीं मंजिल-21, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 4- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक के द्वारा, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़।



- 5- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ,जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़
- 6 कलेक्टर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़।
- 7- राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, प्रबंध निदेशक के द्वारा,नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 8- भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेंड्रा रोड, अपने शाखा प्रबंधक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, पेंड्रा रोड, जिला - गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2100/2023

1-यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट, गौरेला एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी, गौरेला में है, इसके एकमात्र मालिक श्री आशीष अग्रवाल के द्वारा,पिता श्री फकीर चंद अग्रवाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी समता नगर, वार्ड क्रमांक 15, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, पुलिस स्टेशन गौरेला, जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ ।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
- 2 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड अपने महाप्रबंधक के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महाप्रबंधक के द्वारा, 6 वीं मंजिल, टॉवर सी, वाणिज्यिक परिसर, सीबीडी सेक्टर -21, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 5- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 6 कलेक्टर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़



7- राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ,प्रबंध निदेशक के द्वारा, नवा रायपुर अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

8 भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेंड्रा रोड, इसके शाखा प्रबंधक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, पेंड्रा रोड, जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल संख्या 2189/2023

1-यश राइस मिल एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी, गौरेला में है, इसके एकमात्र स्वामी श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, के द्वारा, पिता श्री फकीर चंद अग्रवाल, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी पेंड्रा रोड, पुलिस स्टेशन गौरेला, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड अपने महाप्रबंधक के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महाप्रबंधक के द्वारा, छठी मंजिल, टावर सी, वाणिज्यिक परिसर, सी बी डी, सेक्टर 21, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 5 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 6-कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 6 कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 7- राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ,प्रबंध निदेशक के द्वारा, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 8 भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेंड्रा रोड, अपने शाखा प्रबंधक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी



रिट याचिका सिविल संख्या 2178/2023

1- श्याम फूड प्रोडक्ट्स, गौरेला एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी, गौरेला में है, अपने एकमात्र स्वामी श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल के द्वारा, पिता श्री फकीर चंद अग्रवाल, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी समता नगर, वार्ड क्रमांक 15, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, पुलिस स्टेशन गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड अपने महाप्रबंधक के द्वारा , छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, महाप्रबंधक के द्वारा , छठी मंजिल, टावर सी, वाणिज्यिक परिसर, सीबीडी सेक्टर-21, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 5 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)
- 6 - कलेक्टर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)
- 7 - राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , प्रबंध निदेशक के द्वारा, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (सी. जी.)
- 8 - भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पेंड्रा रोड, इसकी शाखा प्रबंधक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं. 1792/2023

- 1 - मेसर्स केशरवानी राइस मिल , मालिक श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद गुप्ता आयु-55 वर्ष निवासी पोस्ट-शिवनी, मरवाही, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 2 - मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल के द्वारा, पिता शंकर लाल अग्रवाल आयु-34 वर्ष निवासी मारवाही रोड पेंड्रा, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।



- 3 - मेसर्स लक्ष्मी एगो इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया आयु-30 वर्ष, निवासी अंडाशय कुदरी, पेंड्रा, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4 - मेसर्स साई एगो, प्रोपराइटर श्री राम चरण साहू के द्वारा, पिता स्वर्गीय गोरेलाल साहू, लगभग 48 वर्ष, निवासी धोभर मरवाही, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 5 - मेसर्स मां नर्मदा एगोटेक प्रोपराइटर श्री गगन अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु-37 वर्ष, गाँव-मदना, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6 - मेसर्स मां नर्मदा चावल उत्पाद मालिक श्री गीता अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु 52 वर्ष गाँव-मदना, पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 7 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल एगोटेक श्री सुयश अग्रवाल के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल आयु 27 वर्ष, निवासी गाँव-अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 8 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल तथा संस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री गया प्रसाद अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल आयु 59 वर्ष, निवासी गाँव अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से।
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, छठी मंजिल, टावर-सी, वाणिज्यिक परिसर, सी. बी. डी., सेक्टर-21, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 5 - कलेक्टर जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 6 - यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट्स गौरेला, मालिक श्री आशीष अग्रवाल के द्वारा पिता फकीर चंद अग्रवाल निवासी माध्यम पिता लगभग 40 वर्ष की आयु, निवासी समता नगर, वार्ड संख्या 15, गौरेला, तहसील-पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादी



- 1 – मेसर्स निवासीशरवानी राइस मिल निवासी मालिक श्री मनोज गुप्ता, के द्वारा पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद गुप्ता आयु 55 वर्ष पोस्ट शिवनी, मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 2 – मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल, के द्वारा पिता शंकर लाल अग्रवाल, आयु 34 वर्ष मरवाही रोड, पेंड्रा, जिला निवासीला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 3 – मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंड्यूस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा पिता अशोक छाबरिया आयु 30 वर्ष, निवासी गाँव कुदरी, पेंड्रा जिला निवासीला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 4 – मेसर्स ए. आई. ए. जी. आर. ओ. मालिक श्री राम चरण साहू के द्वारा पिता स्वर्गीय गोरेलाल साहू आयु 48 वर्ष, निवासी ग्राम लारनिवासीनी, पोस्ट धोभर, मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 5 – मेसर्स मां नरमदा एगोटेक, प्रोपराइटर श्री गगन अग्रवाल के द्वारा पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम मदना, पेंड्रा रोड, जिला निवासीला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 6 – मेसर्स मां नर्मदा चावल उत्पाद मालिक श्री गीता अग्रवाल के द्वारा पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु 52 वर्ष, निवासी ग्राम मदना, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 7 – मेसर्स जे. पी. अग्रवाल एगोटेक प्रोपराइटर श्री सुयांश अग्रवाल के द्वारा, आयु 27 वर्ष गाँव अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला निवासीला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 8 – मेसर्स जे. पी. अग्रवाल तथा संस गोल्डस्टोरी प्राइवेट लिमिटेड श्री गया प्रसाद अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल आयु 59 वर्ष, निवासी गाँव अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिव के द्वारा, खाद्य, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 – छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, छठी मंजिल, टावर, सी, वाणिज्यिक परिसर, सी बी डी, सेक्टर 2, अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 – छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 4 – छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के द्वारा, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 5 – कलेक्टर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
- 6 – श्याम फूड प्रोडक्ट्स, प्रोपराइटर श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल के द्वारा, फकीर चंद अग्रवाल, उम्र 47, निवासी समता नगर, वार्ड नंबर 15, निवासीला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला निवासीला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी



- 1 - मेसर्स निवासीशरवानी राइस मिल निवासी माध्यम पिता मालिक श्री मनोज गुप्ता के द्वारा, पिता स्वर्गीय बट्टी प्रसाद गुप्ता आयु-55 वर्ष निवासी पद-शिवनी, मरवाही, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 2 - मेसर्स दक्ष फूड इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री हर्ष कुमार गोयल के द्वारा, पिता शंकर लाल अग्रवाल आयु-34 वर्ष, निवासी मरवाही रोड, पेंड्रा जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 3 - मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री अक्षय छाबरिया के द्वारा, पिता अशोक छाबरिया एज-30 वर्ष, निवासी विलेज-कुदरी, पेंड्रा, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 4 - मेसर्स साई एग्रो, प्रोपराइटर श्री राम चरण साहू के द्वारा, पिता स्वर्गीय गोरेलाल साहू आयु-48 वर्ष निवासी गाँव-लेरनिवासीनी, पोस्ट-धोभर, मरवाही, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 5 - मेसर्स मां नर्मदा एगोटेक, प्रोपराइटर श्री गगन अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु-37 वर्ष निवासी गाँव-मदना, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 6 - मेसर्स मां नर्मदा चावल उत्पाद मालिक श्री गीता अग्रवाल के द्वारा, पति स्वर्गीय अशोक अग्रवाल आयु-52 वर्ष, निवासी गाँव-मदना, पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 7 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल एगोटेक प्रोपराइटर श्री सुयश अग्रवाल के द्वारा, पिता गया प्रसाद अग्रवाल आयु-27 वर्ष, निवासी गाँव-अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला-निवासीला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 8 - मेसर्स जे. पी. अग्रवाल तथा संस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड श्री गया प्रसाद अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल, आयु-59 वर्ष गाँव-अंजनी, पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, छठी मंजिल, टावर-सी वाणिज्यिक परिसर सी बी डी, सेक्टर-21, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़।
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक के द्वारा, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
- 5 - कलेक्टर जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़
- 6 - यश राइस मिल निवासी मालिक श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल के द्वारा, पिता फकीर चंद अग्रवाल वृद्ध-47 वर्ष निवासी समता नगर, वार्ड संख्या 15, गौरेला, तहसील-पेंड्रा रोड, जिला-गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़

-- उत्तरवादीगण



याचिकाकर्ता हेतु :--- श्री किशोर भादुड़ी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शुक्ला तथा सुश्री समृद्धि शुक्ला की सहायता से, डब्ल्यू. पी. सी. सं. 1777/2023, 1778 2023, 1792/2023, 1885/2023 5168/2023, 261 2024 तथा <आई. डी. 6 में अधिवक्ता तथा श्री मनोज परांजपे, डब्ल्यू. पी. सी. सं. 2100/2023, 2178/2023, 2186 2023 तथा 2189/2023 में अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :--- श्री प्रवीण दास, डी. ए. जी. श्री विक्रम शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 और 3 हेतु :--- श्री विजय शंकर मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 6 हेतु :--- श्री मयंक मूलचंदानी, अधिवक्ता तथा श्री पी.आर.पाटनकर, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 8 हेतु :--- श्री अशोक सोनी, अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

20/06/2025

याचिकाओं का समूह अर्थात डब्ल्यूपीसी संख्या 1777/2023, 1778/2023, 1792/2023, 1885/2023, 5168/2023, 261/2024 और 321/2024 याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 27 मार्च 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 1 ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर उत्तरवादी संख्या 6 के पक्ष में गुप्त उद्देश्य के साथ अधिकार क्षेत्र के बिना अपील में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 13.50 करोड़ रुपये में से 7.50 करोड़ रुपये की आठ जाली बैंक गारंटी, 2021-22 और 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र के लिए धान की खरीद के संबंध में उत्तरवादी संख्या 3 के पास 5 करोड़ रुपये की पांच जाली बैंक गारंटी जमा की थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए याचिकाओं का यह समूह दायर किया गया है:--

“i. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा जारी 27 मार्च 2023 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने हेतु।

ii) खरीफ विपणन सीजन 2021-22 और खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए कस्टम राइस मिलिंग के संबंध में उत्तरवादी संख्या 6 के भुगतान पर तब तक रोक लगाना जब तक कि उत्तरवादी संख्या 6 के खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है।

iii) कोई अन्य अतिरिक्त आदेश पारित करे जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों और न्याय के हित में उचित तथा उपयुक्त समझे।”



2. याचिकाकर्ताओं द्वारा डब्लू पी सी क्रमांक 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 27.03.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश, 2016 की धारा 9 के तहत 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ अनियमितताएँ की हैं। यह अभिकथित किया गया है कि 29.12.2022 को ब्लैकलिस्ट में डालने का आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (डब्ल्यूपीसी संख्या 176/2023) दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी है और 12.01.2023 के आदेश के तहत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया और ब्लैकलिस्ट में डालने के आदेश को को अपास्त दिया गया था। याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से निम्नलिखित अनुतोष की मांग कर रहे हैं:---

"10.1. छत्तीसगढ़ चावल कस्टम मिलिंग आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विपरीत उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा जारी 27 मार्च 2023 के आदेश को अपास्त और निरस्त किया जाए।

10.2 उत्तरवादी क्रमांक 1 को उत्तरवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध अवैध कार्यवाही हेतु समयबद्ध तरीके से विधि के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए।

10.3. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और न्याय के हित में, माननीय न्यायालय द्वारा उचित तथा उपयुक्त समझे जाने पर, कार्यवाही की लागत सहित कोई अन्य अनुतोष/आदेश या निर्देश पारित किया जाए।"

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि डब्ल्यूपीसी क्रमांक 1777/2023, 1778/2023, 1792/2023, 1885/2023, 5168/2023, 261/2024 और 321/2024 में याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 6, जिला गौरेला पेंड्रा-मरवाही के चावल मिल मालिक हैं और उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 से कस्टम मिलिंग के लिए धान खरीदते हैं और चावल उत्तरवादी क्रमांक 4 के पास जमा करते हैं। चावल कस्टम मिलिंग की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ चावल कस्टम मिलिंग आदेश 2016 द्वारा शासित होती है और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 और संबंधित पक्षों के बीच करार किया गया था। उत्तरवादी संख्या 3 से धान की खरीद से पहले, पक्षकार के लिए बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य है और खरीफ विपणन सीजन 2021-22 और 2022-23 के लिए समर्थन मूल्य के तहत चावल की खरीद के लिए कस्टम मिलिंग पॉलिसी (अनुलग्नक पी/2) जिसमें खंड 6.13/6.14 में यह प्रावधान है कि चावल मिलर्स को चावल मिलर्स को धान की डिलीवरी से पहले धान की कीमत के बराबर सुरक्षा/नकद गारंटी जमा करनी होगी। याचिकाकर्ताओं तथा उत्तरवादी संख्या 6 ने उत्तरवादी संख्या 2 के साथ पंजीकरण कराने और उत्तरवादी संख्या 3 और 5 से अनुमति लेने के बाद बैंक गारंटी जमा करने के बाद चावल मिल मालिकों के साथ समझौता किया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को पता चला कि उत्तरवादी संख्या 6 ने कस्टम मिलिंग के लिए धान की खरीद के लिए खरीफ विपणन सीजन 2021-22 और 2022-23 के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर जारी जाली



और मनगढ़ंत बैंक गारंटी उत्तरवादी संख्या 3 के पास जमा की थी, जो खंड 6.13 और 6.14 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य के खजाने को धोखा देने के लिए उत्तरवादी संख्या 6 के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1, 5, पुलिस अधीक्षक, मुख्य सचिव के पास कई परिवाद की थीं।

4. उत्तरवादी संख्या 5 ने कलेक्टर, खाद्य निरीक्षक और अन्य की जांच समिति गठित करने के बाद जांच की और 28 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दायर की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरवादी संख्या 6 ने चावल कस्टम मिलिंग की खरीद के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 में जाली बैंक गारंटी जमा की थी जो वित्तीय हेराफेरी के अंतर्गत आता है। यह रिपोर्ट उत्तरवादी संख्या 6 को दण्डित करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 को भेज दी गई है और उसी पर कार्यवाही करते हुए, उत्तरवादी संख्या 6 को शेष खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के लिए काली सूची में डाल दिया गया है और उत्तरवादी संख्या 6 के पक्ष में डीओ जारी नहीं करने और उससे चावल की आगे कोई कस्टम मिलिंग नहीं लेने का निर्देश दिया गया है और उत्तरवादी संख्या 6 के खिलाफ पुलिस स्टेशन गौरेला में भा.दं. सं. कि धारा 420 और 34 के तहत अपराध के लिए एफआईआर संख्या 09/2023 दर्ज की गई है।

5. 29 दिसंबर 2022 के इस आदेश से व्यथित होकर, उत्तरवादी संख्या 6 ने इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी संख्या 147/2023 दायर की और 12 जनवरी 2023 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के एवज में अपास्त संख्या 1 द्वारा पारित 29.12.2022 के आदेश को अपास्त कर दिया था तथा उत्तरवादी संख्या 1 को विधि के अनुसार उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा जाली और मनगढ़ंत बैंक गारंटी जमा करने के लिए विधिक कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 के पास दिनांक 23.01.2023 को फिर से पत्र दायर किया। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने छत्तीसगढ़ चावल कस्टम मिलिंग आदेश, 2016 के विपरीत कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध वित्तीय दुर्विनियोजन और राज्य के राजकोष को वित्तीय हानि पहुंचाने का दोषी पाया और उत्तरवादी क्रमांक 6 के पक्ष में अधिकार क्षेत्र के बिना मनमाने तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 सहपठित धारा और छत्तीसगढ़ चावल कस्टम मिलिंग आदेश, 2016 की धारा 9 का प्रयोग करते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 6. संबंधित याचिकाओं अर्थात् डब्ल्यूपीसी क्रमांक 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में मामले के तथ्य यह हैं कि 7.12.2021 को याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के साथ लॉट क्रमांक 5335 से 5535 के लिए कस्टम मिलिंग हेतु एक वर्ष अर्थात् 2021-22 की अवधि के लिए करार किया और उक्त करार 64,000 क्विंटल अरवा चावल के लिए निष्पादित किया गया। लॉट संख्या 5818 से 6018 के लिए एक और करार किया गया और याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 8.50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। बैंक गारंटी का प्रति सत्यापन जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ द्वारा किया गया और शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पेंड्रा रोड द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा विभाग को कई पोस्ट डेट चेक प्रस्तुत किए गए और एनओसी जारी की गई।



इसी प्रकार का संविदा वर्ष 2022-23 के लिए लॉट संख्या 702-882 और 1596 से 1686 के लिए निष्पादित किया गया था और जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 09.11.2022 के अनुबंधों के तहत 5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। जिला विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए पत्र शाखा प्रबंधक, एसबीआई पेंड्रा रोड को भेजा गया और समझौते के अनुसार 64000 क्विंटल धान में से 51,460 क्विंटल धान का उठाव किया गया, हालांकि याचिकाकर्ताओं को हरिओम द्वारा की गई शिकायत पर दिए गए आदेश के अनुसार किसी भी धान के उठाव के लिए प्रतिबंधित किया गया था कि याचिकाकर्ता फर्म और अन्य चावल मिलर्स ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए कुल 44 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है और उक्त राशि में से 20 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जाली थी। याचिकाकर्ता को बयान दर्ज करने के लिए 23.12.2022 को नोटिस दिया गया और उसके बाद 30.12.2022 को याचिकाकर्ता फर्म के मालिक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर को दस्तावेज मांगने हेतु अभ्यावेदन किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग का आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता फर्म द्वारा खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के लिए प्रस्तुत 5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जाली पाई गई है। इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 176/2023 में 12.01.2023 को आदेश पारित करने के बाद, 02.02.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ताओं को 10.02.2023 को राज्य प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया और जवाब में याचिकाकर्ताओं ने साक्षी से प्रतिपरीक्षा, इसके समर्थन में साक्षियों की परीक्षा और उन बैंक गारंटियों की प्रतियां प्रस्तुत करने और आपूर्ति करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिनके जाली होने का आरोप है।

7. 03.03.2023 को, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों को अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई और 13.03.2023 को, राज्य सरकार ने लोकेश कुमार देवांगन, भूपेंद्र सिंह गौतम और हरिओम शरण कश्यप को 20.03.2023 को राज्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया, हालांकि विधानसभा सत्र के कारण उनकी जांच नहीं की जा सकी और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा 27.03.2023 का आदेश पारित किया गया और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर देने के इस न्यायालय के आदेश के बाद भी काली सूची में डालने के आदेश को 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने में बदल दिया गया।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भादुड़ी का तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा जारी किया गया दिनांक 27 मार्च 2023 का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है और छत्तीसगढ़ चावल कस्टम मिलिंग आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उल्लंघन में पारित होने के कारण प्रारंभ से ही अमान्य है। उनका कहना है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को छत्तीसगढ़ चावल कस्टम मिलिंग आदेश, 2016 के तहत अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह स्थापित कानून है कि जहाँ किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वहाँ उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अन्य विधियाँ अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं। **धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले (2019) 5 एससीसी 480 का संदर्भ दिया गया है।** आलोचना आदेश इस बात पर पूरी तरह से मौन है



कि इसे विधि के किस प्रावधान के तहत पारित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 उत्तरवादी संख्या 1 को उत्तरवादी संख्या 6 पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं देती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 5 ने 28 दिसंबर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से उत्तरवादी संख्या 1 को जांच रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें रिपोर्ट के कंडिका 6 और 7 में यह देखा गया है कि उत्तरवादी संख्या 6 और तीन सहयोगी फर्मों ने धान की खरीद के लिए 2021-22 में 21.50 करोड़ रुपये और 2022-23 में 20 करोड़ रुपये की भारतीय स्टेट बैंक से जारी जाली और मनगढ़ंत बैंक गारंटी जमा की थी, जो वित्तीय हेराफेरी के समान है और यह कस्टम मिलिंग नीति का उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 1 इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि धान की खरीद और चावल की कस्टम मिलिंग के लिए जाली और मनगढ़ंत बैंक गारंटी जमा करने के आरोप में याचिकाकर्ता के विरुद्ध एफआईआर संख्या 09/2023 दर्ज की गई है, जबकि उत्तरवादी संख्या 6 के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 जोड़ी जानी चाहिए थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 1, उत्तरवादी संख्या 6 की अवैध गतिविधियों और कदाचार को इस बहाने से कम नहीं कर सकता कि उत्तरवादी संख्या 6 ने खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए चावल जमा कर दिया था और राज्य के खजाने को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी संख्या 1 ने उत्तरवादी संख्या 6 के पक्ष में आक्षेपित आदेश पारित किया था और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उत्तरवादी संख्या 6 ने खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए जाली और मनगढ़ंत बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी, उसने कानून का मखौल उड़ाते हुए खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए फिर से झूठी और मनगढ़ंत बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी, इस पर ध्यान दिए बिना ही उसने ऐसा किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति न्यायालय के पास है न कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास। अधिनियम की धारा 10 ए में प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। अधिनियम के अंतर्गत दंड लगाने की शक्ति न्यायालय में निहित है और यह निर्णय करना उत्तरवादी संख्या 1 का काम नहीं है कि उसने अधिनियम के अंतर्गत ऐसा अपराध किया है जिसके लिए धारा 7 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने उत्तरवादी संख्या 6 और सहयोगी फर्मों के विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज की हैं और उन्हें दंडित नहीं किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने डब्ल्यूपीसी संख्या 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में कहा है कि आक्षेपित आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा विधि के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ब्लैकलिस्ट में डालने का पूर्व आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं/फर्म को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने वाला पूर्व कारण बताओ नोटिस सभी प्रशासनिक निर्णय लेने का एक अनिवार्य तत्व है, विशेष रूप से जुर्माना लगाने से संबंधित निर्णय में। उन्होंने तर्क दिया है कि कथन दर्ज करने से पहले कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है या आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता फर्म को जांच रिपोर्ट की कोई प्रति नहीं दी गई। उन्होंने तर्क दिया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 और



2022-23 के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी का संबंधित बैंक से जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रति सत्यापन किया गया था और जब बैंक ने इसे मंजूरी दे दी, तो याचिकाकर्ताओं को अपना धान उठाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, बैंक गारंटी की समान राशि के पोस्ट डेटेड चेक भी प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं/फर्मों ने उत्तरवादीगण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वर्ष 2020-21 के लिए चावल जमा कर दिया गया है और एनओसी जारी कर दी गई है और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी जारी कर दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए याचिकाकर्ताओं की फर्मों ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी 5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी और बाद में भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं और व्यवसाय के विस्तार को देखते हुए एसबीआई से खाता बंद कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया है कि यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति को किसी आरोप का जवाब देना होता है, उसे न केवल आरोप, बल्कि उस साक्ष्य की भी जानकारी होनी चाहिए जिससे आरोप समर्थित है। उसे आरोपों के समर्थन में साक्ष्य सुनने और अपनी इच्छानुसार जिरह के माध्यम से सुसंगत प्रश्न पूछने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उसके विरुद्ध रखे गए साक्ष्य का खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आधारित है, लेकिन उसे कारण बताओ नोटिस के साथ नहीं दिया गया है। उन्होंने अयाउभखान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2013) 4 एससीसी 465 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अजनबी को किसी कार्यवाही में तब तक हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वह प्राधिकारी/न्यायालय को यह संतुष्ट न कर दे कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। उन्हें इस न्यायालय के डब्ल्यूपीसी संख्या 6450/2024 दिनांक 02.01.2025 के आदेश पर और राहत मिली है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है:

“6. यह सामान्य विधि है कि आमतौर पर, जो व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत चाहता है, उसके पास विषय-वस्तु में व्यक्तिगत या वैयक्तिक अधिकार होना चाहिए और “सामान्यतः” शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल है, जो किसी प्राधिकारी के कार्य या चूक से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो।

7. यह भी स्थापित विधि है कि यदि कोई व्यक्ति आक्षेपित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से आक्रमण हुआ है और न ही ऐसे अधिकारों पर आक्रमण होने का कोई आसन्न खतरा है या लागू नियमों की अनदेखी करते हुए उसके अर्जित हितों का उल्लंघन किया गया है, तो उसे रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (देखें: विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), (2001) 4 एससीसी 734.)”

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री परांजपे ने प्रस्तुत किया कि डब्ल्यूपीसी संख्या 1777/2023, 1778/2023, 1792/2023, 1885/2023, 5168/2023, 261/2024 और 321/2024 में याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत यह है कि राज्य सरकार को ब्लैकलिस्ट में डालने के पहले के आदेश की



पुष्टि करनी चाहिए थी। यह स्वीकार्य स्थिति है कि दंड राज्य सरकार द्वारा दी गई है, दंड की मात्रा या क्या दंड दिया जाना था यह विवेक का विषय है, जिसका राज्य सरकार द्वारा उचित ढंग से प्रयोग किया गया है।

11. उत्तरवादी संख्या 1 और 5/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान याचिका राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है और याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं और केवल याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र के आधार पर ही आदेश को चुनौती दी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वर्तमान याचिकाएँ गुण-दोष और सार से रहित हैं और इसलिए खारिज किए जाने योग्य हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 27.03.2023 को पारित आदेश पारित करते समय, उत्तरवादी संख्या 1/राज्य सरकार ने केवल प्रावधानों के अनुसार और इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित और उचित अवसर प्रदान करने के बाद विधि के अनुसार पूरी तरह से पारित किए गए हैं और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने **रवि यशवंत भोईर बनाम कलेक्टर (2012) 4 एससीसी 407 और शंकर वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 5630 में रिपोर्ट)** के मामले में अपना भरोसा जताया है।

12. जहां तक डब्ल्यूपीसी संख्या 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क का संबंध है, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रारंभिक जांच करने के बाद 29.12.2022 को आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को काली सूची में डालने के अलावा, अधिकारियों ने और प्रतिबंध लगाए थे और इसलिए याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी संख्या 147/2023 के तहत याचिका दायर की और याचिकाकर्ता का परिवाद है कि काली सूची में डालने का आदेश देने से पहले, उत्तरवादीगण ने कभी कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया और न ही याचिकाकर्ताओं को बचाव का अवसर दिया गया। हालाँकि, याचिका पर सुनवाई के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 12.01.2023 के आदेश को स्वीकार कर लिया और कहा कि दिनांक 29.12.2022 का आदेश स्पष्ट रूप से स्थापित विधिक स्थिति के विपरीत है। यह आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किए बिना जारी किया गया है और काली सूची में डालने का आदेश देने से पहले याचिकाकर्ताओं का पक्ष भी नहीं सुना गया था। इसलिए यह आदेश मान्य नहीं है और इसे अपास्त/रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश वैधानिक प्राधिकारी द्वारा इस न्यायालय के निर्देश के साथ-साथ न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किए गए हैं और संबंधित प्राधिकारियों ने अपने में निहित अधिकारिता का सही ढंग से प्रयोग किया है।

13. उत्तरवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत उत्तरवादी संख्या 1/राज्य की निष्क्रियता के विरुद्ध है और राज्य एक अलग इकाई है तथा वह एक औपचारिक पक्ष है।



14. उत्तरवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एसबीआई की भूमिका सीमित है। याचिकाकर्ताओं ने एसबीआई, पेंड्रा रोड के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के साथ मिलीभगत करके फर्जी/जाली बैंक गारंटी तैयार की और सीजी राज्य सहकारी विपणन संघ के पक्ष में विस्तारित/पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता फर्म के मालिक और एसबीआई, पेंड्रा रोड के शाखा प्रबंधक और अन्य फर्मों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई और पीएस गौरेला में एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्वेषण पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता फर्मों के शाखा प्रबंधक और मालिकों अर्थात् फकीरचंद अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल और आशीष अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 47 और 34 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था और मामले में आरोप निर्धारित करने के लिए 28.07.2025 की दिनांक निर्धारित की गई थी।

15. पक्षों और उनके प्रतिद्वंद्वी तर्क के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

16. याचिकाकर्ताओं के पास, हालांकि उनके नामकरण के आधार पर कोई स्पष्ट कानूनी स्थिति (लोकस स्टैंडी) नहीं है, 27.03.2023 के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। यह आदेश उन बैंक गारंटियों से संबंधित है जिनके जाली और मनगढ़ंत होने का आरोप है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं और प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(3) के अर्थ और दायरे की सावधानीपूर्वक व्याख्या करनी होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम, विशेष रूप से धारा 7 (3) के संदर्भ में, यह निम्नानुसार है:--

अधिनियम की धारा 7 के तहत, दंड लगाने की शक्ति न्यायालय के पास है, न कि जिला कलेक्टर के पास। अधिनियम की धारा 10 ए में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। धारा 11 में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि ऐसे अपराध से संबंधित तथ्यों की लिखित रिपोर्ट किसी लोक सेवक या किसी पीड़ित व्यक्ति या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा न दी गई हो। इस प्रकार, अधिनियम के तहत दंड लगाने की शक्ति न्यायालय में निहित है और यह तय करना जिला कलेक्टर का काम नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के तहत अपराध किया है या नहीं, जिसके लिए धारा 7 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक नहीं है।

17. उत्तरवादी संख्या 1/राज्य द्वारा पारित दिनांक 27.03.2023 के आक्षेपित आदेश का प्रभावी भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:--

"उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय जारी किया जाता है--यद्यपि अपीलार्थी राईस मिल संस्थाओं द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-2022 में उठाये गये शासन का समस्त आनुपातिक चावल जमा



कर दिया है, जिससे शासन को कोई आर्थिक क्षति कारित नहीं हुई है परंतु इनके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में एवं खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कूट रचित बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव किया गया है जो कि एक अनियमितता है एवं जिसके परिणामतः राज्य शासन को कस्टम मिलिंग का चावल परिदान ना किए जाने पर अर्थिक क्षति की अवश्यमभावी थी। अतएव अविभागीय आदेश पत्र क. 4-21/2022/29-1 दिनांक 29.12.2022 द्वारा अपीलार्थी राईस मिल संस्थाओं को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में काली सूची में दर्ज किये जाने संबंधी आदेश को शिथिल करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (7) सहपठित धारा (3) तथा छ.ग. कस्टम मिलिंग आदेश 2016 की कंडिका 9 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक राईस मिल पर रु. 5 लाख (पांच लाख रुपये) अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में आवेदक राईस मिल से **DO** के अनुसार किए गए धान उठाव के विरुद्ध परिणामी चावल को छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम / भारतीय खाद्य निगम में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।"

18. उत्तरवादी संख्या 1 अनुलग्नक पी/14 के आदेश के मात्र अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि डब्ल्यूपीसी संख्या 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है और मामले की जांच करने और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जवाब और उनके बयानों को ध्यान में रखने के बाद आदेश पारित किया गया है। यह एक आपराधिक न्यायालय जैसा परीक्षण नहीं है तथा उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा केवल एक जांच की गई थी, इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद आदेश पारित किया गया है। 19. जहां तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा/आदेश 9 के तहत शक्तियों का संबंध है, इस धारा के तहत दंड निम्नानुसार है:-----

"9. दंड: यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी प्रावधान या इस आदेश के तहत जारी किसी निर्देश या इस आदेश के तहत किए गए किसी समझौते का उल्लंघन करता है, तो वह अधिनियम की धारा 7 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा और करार में उल्लिखित दंड के लिए उत्तरदायी होगा और चावल मिल को काली सूची में डाला जा सकता है।" आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अवलोकन से यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी प्रावधान या इस आदेश के तहत जारी किसी निर्देश या इस आदेश के तहत किए गए किसी करार का उल्लंघन करता है, तो निम्नलिखित दंड निर्धारित है:---

अर्थात्

- i) वह आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- ii) और समझौते में उल्लिखित दंड के लिए उत्तरदायी होगा और
- iii) चावल मिल को काली सूची में डाला जा सकता है।"



20. इसलिए, विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द को काली सूची में डाला जा सकता है, इसलिए यह इस अधिनियम के तहत दी गई विवेकाधीन शक्ति है। उत्तरवादी प्राधिकारी ने निम्नलिखित आधारों पर आदेश (प्रत्यावलोकन पी-14) पारित किया था: प्रथमतः, याचिकाकर्ताओं द्वारा झूठी और मनगढ़ंत बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी, द्वितीय, सभी धान की आपूर्ति याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई थी और तृतीय, राज्य के खजाने को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था।

21. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालाँकि, राज्य प्राधिकरण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(3) के तहत नामकरण को त्रुटिपूर्ण बताया है क्योंकि इस धारा के तहत केवल न्यायालय को ही अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार है।

20. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि राज्य ने डब्ल्यूपीसी संख्या 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 420/34 के तहत मामला भी दर्ज किया है और बहस के दौरान संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों ने स्वीकार किया है कि अंतिम रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है और संबंधित मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 420/34 और 467 के तहत संज्ञान लिया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने (उपर्युक्त याचिकाओं में) याचिकाकर्ताओं का पक्ष लिया है और यह याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 (सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग) के बीच का मामला है और पक्षों के बीच समझौता हो चुका है, इसलिए डब्ल्यूपीसी संख्या 1777/2023, 1778/2023, 1792/2023, 1835/2023, 5168/2023, 261/2024 और 321/2024 पीड़ित नहीं हैं और इस प्रकार, उनके पास राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 27.03.2023 के आदेश को चुनौती देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ (डब्ल्यूपीसी संख्या 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में) सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 420/34 और 467 आईपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करके कार्यवाही की है और याचिकाकर्ता पर 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि आक्षेपित आदेश अन्यथा उचित है, तो यह न्यायालय संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए दंड में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि वह त्रुटिपूर्ण है। रिट न्यायालय आक्षेपित आदेश की तर्कसंगतता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। यह न्यायालय प्राधिकारी की अपील पर विचार नहीं कर रहा है।

21. जहाँ तक डब्ल्यूपीसी संख्या 2100/2023, 2178/2023, 2186/2023 और 2189/2023 में याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था और श्री परांजपे का तर्क स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई का उचित अवसर देने और प्राकृतिक न्याय के मानदंडों का पालन करने के बाद, दिनांक 27.03.2023 का आदेश पारित किया गया है। अतः, प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय का मत यह है कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और उपरोक्त याचिकाओं का समूह सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।



सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।